2023/577

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर** मुकाम **जोधपुर (ग्रामीण)**

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

गुलाब चन्द जैन पुत्र बालचन्द जैन, फर्म मैसर्स कमल किराणा स्टोर, बैंक वाली गली, शेरगढ़, जिला जोधपुर। निवासी सादो का बास, शेरगढ़, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा **खाद्य सुरक्षा प्रकरण** नं. 02 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुक्म.तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
04.10.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 05.03.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (ग्रामीण)	
05/03/24	पत्रावली आज पेश हुई थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण ने अप्रार्थी गुलाबचंद पुत्र बालचन्द का मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अतः अप्रार्थी गुलाबचन्द के मौत होने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित विभाग को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:29:28 IST
Reason: SelfAttested